


कार्यालय आदेश संख्या- ०९/१८

श्री चन्द्रिका प्रसाद हमाल पडरौना जिन्हें मवाप्र/वाराणसी के एन.आई.पी. संख्या- गो/मरेप्र/वा/26/2015/अना.अनु. दिनांक-13.07.17 के द्वारा तत्काल प्रभाव से रेल सेवा से हटाये जाने (Remove From Service) का दण्ड आरोपित किया गया था,के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्या-51/17 पृष्ठांकन सं.समसंख्यक दिनांक-14.07.17 द्वारा (तत्काल प्रभाव) से (Remove From Service) किया गया था को कर्मचारी के अपील पर वमवाप्र/वाराणसी महोदय द्वारा जारी एन.आई.पी. संख्या- गो/मरेप्र/वा/26/2015/अना.अनु/ दिनांक-15.01.18 द्वारा अधिरोपित दण्ड (Remove From Service) को कम करते हुए इसके स्थान पर इनका मूल वेतन रु.32000/- (लेवल-3) से घटाकर उसी लेवल में न्यूनतम वेतन रु.21700/- पर दो वर्षों के लिये अस्थाई रूप से निर्धारित करते हुए रेल सेवा में वापसी का आदेश पारित किया जाता है।

संख्या-का/वा/पीसी/चन्द्रिका प्रसाद
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वमवाप्र/वाराणसी
2. वमविप्र/वाराणसी
3. कार्यालय आदेश पुस्तिका
4. कार्यार्थी परिचालन बिल
5. स्टेडी/मुवानि/पडरौना
6. संबन्धित कर्मचारी
7. मंडल मंत्री नरमू अजा/अजजा एसों. वाराणसी
8. अन्य प्रति

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)
वाराणसी
दिनांक-16.01.18


कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)
वाराणसी